२ लोक-२०२/२०२१

9

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 4255/ II/12 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषको के हस्ताक्षर
1-5-14	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 40 अ 6/12-13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-12-12 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।	6-5-14
	3/ उभय पक्ष के तर्कों पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी सागर के अंतरिम आदेश दिनांक 4-12-12 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने अपील कमांक 40 अ 6/12-13 में संहिता की धारा 52 के आवेदन पर तर्क श्रवण कर स्थगन आदेश जारी करने का निर्णय लिया है जिसके विरूद्व यह निगरानी है। विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता की धारा 52 के आवेदन पर विचार कर स्थगन आदेश जारी करने में किसी प्रकार की बैधानिक त्रृटि की है ?	
	1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 52 - प्राथमिक दृष्टि में मामला बनता है या नहीं , सुविधा-सन्तुलन किस पक्षकार के पक्ष में होना संभावित है एंव यदि Status Que का आदेश नहीं दिया गया तो अपूर्तनीय क्षति किस पक्षकार को पहुंचेगी - तत्वों पर विचार किया जाकर स्थगन प्रदान किया जाता है।	

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)–धारा 52 – सॅशोधन कमांक 42 सन 2011 म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30.12.2011 – एक वार में तीन मास से अधिक के लिये या अगली सुनवाई की तारीख तक जो भी पूर्वात्तर हो– स्थगन दिया जावेगा।

अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 4–12–12 से स्थगन जारी कर आगामी पेशी 11–12–12 लगाई है 4–12–12 उसके वाद 11.12.12, 18.1.13 , उसके वाद 18.2.13 की पेशियों पर स्थगन अवधि नहीं बढ़ाई है अतएव स्थगन आदेश आगामी पेशी 11.12.12 को अवधि समाप्त होने पर विधि के प्रभाव से रिक्त हो चुका हे जिसके कारण विचाराधीन निगरानी अप्रचलनशील है।

4/ प्रकरण में निगराकरण हेतु अन्य कोई बिन्दु शेष नहीं है अतः निगरानी अप्रचलनशील हो से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस कर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

सदस्य